न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 06/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/12

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जोगाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी भाखरी खेड़ा,टापरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.मूलाराम पुत्र मोटाराम 2.कमलादेवी पत्नि मूलाराम 3.दिनेशकुमार पुत्र मूलाराम जाति मेगवाल निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28.07.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 215/15 क्षेत्रफल 6.3940 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि का मूल खसरा संख्या 15 था,जिससे विभक्त होकर खसरा संख्या 215/15 प्रार्थी की खातेदारी का है,खसरा संख्या 154/15 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी,खसरा संख्या 155/15 विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी व खसरा संख्या 153/15,152/15 विप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी मे अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वक्त एलोटमेट तरमीम हो रखी है,जो विप्रार्थी क पड़ौस की भुजा बदिशा दक्षिण पश्चिम की तरफ सीधी तरमीम हो रखी थी,को विप्रार्थी द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम टेढी मेड़ी करवा दी गई। जिसके कारण विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हड़प करने की कोशिश की जा रही है। अतं विवादित आराजी के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 215/15 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर पूर्व की भांति सीधी तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 215/15 क्षेत्रफल 6.3940 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि का मूल खसरा संख्या 15 था,जिससे विभक्त होकर खसरा संख्या 215/15 प्रार्थी की खातेदारी का है,खसरा संख्या 154/15 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी,खसरा संख्या 155/15 विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी व खसरा संख्या 153/15,152/15 विप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी मे अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वक्त एलोटमेट तरमीम हो रखी है,जो विप्रार्थी क पड़ौस की भुजा बदिशा दक्षिण पश्चिम की तरफ सीधी तरमीम हो रखी थी,को विप्रार्थी द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम टेढी मेड़ी करवा दी गई। जिसके कारण विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हड़प करने की कोशिश की जा रही है। जबकि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर बहिस्सा मौका कब्जा काश्त अनुरूप पूर्व की भांति सीधी तरमीम मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे विप्रार्थी का अवैध कब्जा को हटवाने हेतु श्री न्यायालय मे राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था,जो बाद सुनवाई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौका फर्द दिनांक 18.6.2019 के अनुसार रकबा 29 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया था,इसी दौराने विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम गलत करवा दी गई,जो कि प्रार्थी के साथ अन्याय किया गया है। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 215/15 की विदयमान तरमीम अपास्त की जाकर पूर्व की भांति प्रार्थी की भूमि की सीधी तरमीम करते हुए दुरूस्त की जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 215/15 क्षेत्रफल 6.3940 हैक्टयर भूमि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा मे अवस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को एलोटमेट होना बताया था। प्रार्थी की भूमि की तरमीम विप्रार्थी के खेत की बदिशा दक्षिण पश्चिम तरफ सीधी तरमीम होने के उपरांत बिना सक्षम आदेश के तरमीम सीधी से टेढी मेढ़ी की गई तरमीम को अपास्त करवाते हुए पूर्व की भांति तरमीम दुरूस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के संलग्न हल्का पटवारी टापरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2024 अनुसार विवादित भूमि का मूल खसरा संख्या 15 रकबा 566.07 बीघा भूमि माधूरिंह पुत्र पदमरिंह के खातेदारी मे अवस्थित थी। तत्पश्चात अलग अलग बेचानपत्रा के आधार पर मूल खसरा संख्या 15 से विभक्त होकर कुल 23 खसरान नम्बर कायम हुए,जिसमे खसरा संख्या 154/15, 155/15, 156/15, 158/15 व 163/15 का रकबा जमाबंदी व नक्शा लटढा तरमीम अनुसार लगभग पूर्ण है,शेष सभी खसरो का रकबा जमाबंदी के रकबे से कम अथवा अधिक है,इस प्रकार समस्त खसरान की तरमीमे प्रभावित हो रही है,लेकिन प्रार्थी द्वारा समस्त खसरान के खातेदारान जो कि प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी पक्षकार नही बनाया गया है,जो ऐसी सूरत मे आवश्यक पक्षकार के अभाव के कारण प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नही है। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है,जो निर्णय छायाप्रति अवलोकन से प्रतीत होता है,जो कि हस्तगत प्रकरण तरमीम दुरूस्ती का बनता नही है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी का आवेदन पोषणीय नही होने एवं प्रार्थी अपना आवेदन पत्र साबित करने मे असफल रहने के कारण आवेदन खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार) 28/07/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 28/07/25
बालोतरा